तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद मु.न. 125/2021 अनवान रणजीत सिंह बनाम स्टेट आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
13.01.2025	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित आये है। बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि उक्त प्रकरण के प्रार्थीगण रणजीतसिंह वगैराह ने दिनांक 07.09.2020 को धारा 125 भूराजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया था। मान्य् न्यायालय ने उक्त राजस्व प्रार्थना पत्र को दर्ज कर नम्बर मु. 55/20 कायम कर अप्रार्थीगण को जरिये सामन तलब किया गया। चूंकि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 एक ही परिवार के हैं, जिन्होने उक्त प्रकरण में दुर्भिसंधि कर तथ्यों को छुपाकर दिनांक 12.02.2021 को मान्य् न्यायालय से खाता 49 नया 52 खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही मौजा धर्मास की भूमि का पत्थरगढ़ी करने का आदेश करवा लिया। रोही धर्मास में स्थित खेत खसरा नम्बर 269 तादादी 58 बीघा 11 बिस्वा भूमि बदरूराम पुत्र चुनाराम जाति ब्रहाम्ण निवासी इंदपालसर बास बड़ा की खातेदारी की थी। बदरूराम ने उक्त खसरा की 15 बिस्वा भूमि दिनांक 05.08.1979 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा लाधुराम पुत्र स्व. जगन्ननाथ जाति राठी को विक्रय कर दी व खेत खसरा नम्बर 65 तादादी 84 बीघा रोही धर्मास जो कि गणपतसिंह पुत्र किशनसिंह जाति राजपूत निवासी धर्मास की खातेदारी की थी। गणपतसिंह ने दिनांक 28.03.1979 को एक बीघा भूमि लाधूराम पुत्र जगन्ननाथ जाति राठी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दी। खेत खसरा नम्बर 65 की एक बीघा भूमि में लाधूसिंह राठी ने सार्वजनिक प्याऊ बनाई थी, जिससे लोग पानी पीते थे। लाधूराम राठी ने खरीदशुदा भूमि पर बाड़ बनाकर कब्जा कर लिया था। लाधूराम राठी की मृत्यु के बाद उसके जायज वारिसानों ने उपरोक्त खरीदशुदा भूमि को सार्वजानिक उपयोग के लिए धर्मास ग्राम पचांयत को सुपुर्द कर दी। भूमि बाबत लाधूराम राठी के जायज वारियानों ने लिखित में लिखित घोषणा पत्र भी लिखकर दिया। ग्राम पचांयत धर्मास ने भूमि को अपने कब्जा में लेकर खसरा नम्बर 65 की एक बीघा भूमि के अन्दर किसान सेवा केन्द्र, पानी का कुण्ड व जलहोद बनाया था। उक्त सभी की सार–संभाल ग्राम पंचायत धर्मास द्वारा ही की जाती रही हैं। ग्राम पंचायत धर्मास के अभी वर्तमान में ध्यान में आया है कि ग्राम धर्मास के रणजीतसिंह, सुल्तानसिंह पुत्रगण माधोसिंह, कालूसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत ने व भंवरसिंह के वारिसान चन्द्रकंवर, मुन्नीकंवर, किरणकंवर व कानू कुंवर से दुर्भिसंधि कर उपरोक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष पेश कर खेत खसरा नम्बर 80 ... 2.90 हैक्टेयर रोही धर्मास की भूमि पर पत्थरगढ़ी का आदेश करवाया हैं। जबकि खेत खसरा नम्बर 71 वर्तमान खसरा नम्बर 80 रोही मौजा धर्मास की भूमि को छोटे छोटे टुकड़ो में विक्रय कर चुके है। जहां पर ग्राम पंचायत धर्मास की आबादी बसी हुई हैं। रजणजीसिंह वगैराह की मौका पर न तो जमीन है, न ही किसी प्रकार का कोई कब्जा हैं। राजस्व रिकार्ड में जो	

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:30 IST
Reason: SelfAttested

2.90 हैक्टेयर ... आबादी में बसे लोगो के घरो के रास्ते के रूप में है जिस पर सड़के बनी हुई हैं। रणजीतसिंह वगैराह उक्त भूमि की आड़ में ग्राम पंचायत की खसरा नम्बर 65 की एक बीघा भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाकर ग्राम पंचायत की भूमि पर काबिज होना चाहते हैं। जबकि रणजीतसिंह वगैराह को पत्थरगढ़ी करवाने का कोई अधिकार नही हैं। मौका पर ग्राम पंचायत द्वारा दीवार व निर्माण करवाया हुआ हैं तथा चार दीवारी के अन्दर किसान सेवा केन्द्र, पानी की प्याउ व पानी का कुण्ड व पानी की जलहोद आदि बना रखे हैं। रणजीतसिंह वगैराह ने मान्य् न्यायालय से तथ्य छुपाकर निर्णय करवाया हैं। जबकि मौका पर खसरा नम्बर 80 का कोई अस्तिव नही है। खसरा नम्बर 80 पर आबादी धर्मास बसी हुई हैं। यह है कि मान्य् न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 12.02.2021 की पालना पर रोक लगाई जाकर उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत धर्मास को सुना जाकर पारित आदेश को रिव्यू कर पुनः आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि उपरोक्त अनुवानी प्रार्थना पत्र मान्य् न्यायालय के रिकार्ड से तलब फरमाया जाकर प्रार्थी को सुना जावें व पारित आदेश को रिव्यू कर पुनः आदेश पारित किया जावें तब तक पारित आदेश पर स्थगन जारी किया जावें ।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सी.पी.सी. का जबाब अप्रार्थीगण की ओर से निम्न प्रकार से पेश है प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित धारा 125 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अस्वीकार है, चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था। इस मद में भूमि का पत्थरगढ़ी करने का आदेश करवा लिये जाने का तथ्य भी अस्वीकार है। इस मद में शेष वर्णित तथ्य स्वीकार है। मान्नीय न्यायालय ने उक्त प्रकरण में सुनवाई करके आदेश पारित किया था। उक्त खेत के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर वाकेरोही धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से है। प्रार्थी सरपंच का अप्रार्थीगण की उक्त खातेदारी खेत से कोई सरोकार नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा जो प्रार्थना पत्र मान्नीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, उसमें प्रार्थी सरपंच भी पक्षकार नहीं था, इसलिये कानूनी रूप से भी प्रार्थी सरपंच को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है [illegible] न तो अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर वाकेरोही धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ [illegible] करवाने के बाद पत्थरगढ़ी करवाने हेतु धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना [illegible] प्रस्तुत किया था। जिस पर विधिवत रूप से सुनवाई करके माननीय न्यायालय ने दिनांक 12.02.2021 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:30 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

खेत का सीमाज्ञान करके पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश पारित किया था। यदि उक्त आदेश से प्रार्थी व्यथित है तो प्रार्थी को उक्त आदेश के विरूद्ध अपर न्यायालय में कानूनी कार्यवाही करनी पड़ेगी, लेकिन प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र बिना किसी आधार के बिलकुल ही गलत रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो किसी प्रकार से चलने योग्य नहीं है, खारिज किये जाने योग्य हैं। अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही धर्मास की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को कब्जा करने का व उपयोग में लेने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी सरपंच राजनैतिक पार्टीबाजी की वजह से अप्रार्थीगण के खिलाफ पार्टी का है, जो किसी भी सूरत में अपने प्रभाव के कारण अप्रार्थीगण के उक्त खातेदारी खेत की सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी नहीं होने देना चाहता, इसी बदनियति से प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करवाया है, जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है, खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने बिना किसी आधार के बिना किसी पैमाईश रिपोर्ट के अंकित किये है, जो किसी भी प्रकार से मानने लायक नहीं है। खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही धर्मास के खातेदारों ने अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा के लिये सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने के लिये सही रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अप्रार्थीगण ने किसी प्रकार से कोई दुरभिसंधी नहीं की है। कानून के मुताबिक भी अप्रार्थीगण को अपने खातेदारी खेत की सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकार प्राप्त है। उक्त खातेदारी भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी बारानी भूमि है, जिस पर अप्रार्थीगण का कब्जा, काश्त व उपयोग–उपभोग है, जिसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने विधिवत रूप से सुनवाई करके दिनांक 12.02.2021 को सही रूप से निर्णय पारित किया है। अप्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही धर्मास की भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थी पत्थरगढ़ी को गलत रूप से होने देना नहीं चाहता, इसी बदनियति से प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र द्वेषतावंश गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। अप्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही धर्मास का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है । सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी होने से प्रार्थी को किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि अप्रार्थीगण को अपूर्तीय क्षति हो रही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित तथ्य स्वीकार नही, इन्कार किये जाते है। प्रार्थी को मान्नीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 12.02.2021 पर रोक लगवाये जाने का कानूनी रूप से कोई अधिकार प्राप्त नही है, क्योंकि उक्त आदेश खेत खसरा [illegible] तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही धर्मास बाबत पारित किया गया था, जिसकी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से है व अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। उक्त खेत से प्रार्थी (सरपंच धर्मास) का कोई सरोकार नहीं है, ना ही कोई लेना–देना है, महज पार्टीबाजी की वजह से प्रार्थी ने बिना किसी आधार पर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 128

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:30 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में प्रार्थी पक्षकार भी नहीं था, इसलिये भी उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार प्रार्थी को किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं है। आदेश दिनांक 12.02.2021 की पालना रूकवाने को भी अधिकार प्रार्थी को प्राप्त नहीं है, अगर अप्रार्थीगण की खातेदारी खेत की सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाई जाती है तो उसमें प्रार्थी को किसी प्रकार से कोई नुकसान नही है, बल्कि पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान नहीं होने से अप्रार्थीगण के साथ भारी अन्याय होगा, इसलिये आदेश दिनांक 12.02.2021 को रिव्यू कर पुन आदेश पारित किये जाने की कोई आवश्यकता नही है, उक्तं आदेश से अगर प्रार्थी व्यथित है तो उक्त आदेश के खिलाफ प्रार्थी को अपर न्यायालय में रिवीजन/अपील प्रस्तुत की जानी चाहिये। प्रार्थी ने बिलकुल ही गलत रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी (सरपंच धर्मास) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 सी.पी.सी. मय खर्चा खारिज फरमाया जावे व अपनी बहस के समर्थन में माननीय न्यायालय रेवन्यू बोर्ड अजमेंर के न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2021(2) पृष्ठ संख्या 1256 से 1259 पेश की गई।

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण ने तो अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर वाकेरोही धर्मास तहसील श्रीडूंगरगढ़ की सीमाज्ञान करवाने के बाद पत्थरगढ़ी करवाने हेतु धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर विधिवत रूप से सुनवाई करके न्यायालय ने दिनांक 12.02.2021 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करके उक्त खेत का सीमाज्ञान करके पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश पारित किया था। यदि उक्त आदेश से प्रार्थी व्यथित है तो प्रार्थी को उक्त आदेश के विरूद्ध अपर न्यायालय में अपील प्रस्तुत करनें की कार्यवाही करनी चाहिए। न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सुनवाई की जाकर दिनांक 12.02.2021 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश खेत खसरा नम्बर 80 तादादी 2.90 हैक्टेयर रोही धर्मास बाबत पारित किया गया था, जिसकी खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम से है व अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है। उक्त खेत से प्रार्थी (सरपंच धर्मास) का कोई सरोकार नहीं है, ना ही हितबद्ध पक्षकार है। लिहाजा उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी का इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर से कम होकर शामिल दफ्तर हो।

आदेश सरेइजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.01.23 12:05:30 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)